न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/09/2023	2023/245	30.10.2023	13.11..2024

1– फजरू पुत्र निजरू जाति मेव निवासी ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०) सत्यमेव जयते

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 22.02.1990 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री मौहम्मद शफीर –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के नामान्तकरण संख्या 148 निर्णय दिनांक 22.02.1990 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 461 किस्म बंजड सिवायचक लगानी (काबिल काश्त) कस्टोडियन भूमि ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा में स्थित है, जिसका मूल रकबा बडा यानि 86 बीधा 07 बिस्वा था। उक्त आराजी में से 5 बीधा आराजी अपीलान्ट को दिनाक 17.02.1990 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा द्वारा कीमतन अलॉट की गयी। अपीलान्ट द्वारा एकमुश्त कीमत मय ब्याज जमा की गयी जिसके बाद अलोटमेंट उक्त 5 बीधा आराजी सीधे खातेदारी अपीलाट को जरिये नामान्तकरण संख्या 148 दिनाक 22.02.1990 के द्वारा प्रदान की गई थी तथा स्वीकृतशुदा नामान्तकरण का नोट भी जमाबन्दी संवत 2045–2048 में लगा दिया गया था। उपरोक्त नामान्तकरण का नोट जमाबन्दी संवत 2045–2048 में लगा दिये जाने के बाद अपीलान्ट निश्चिंत हो गया तथा इस विश्वास में था की अपीलान्ट का नाम कागजात माल में दर्ज चला आ रहा है, अपीलान्ट के नाम स्वीकृतशृदा नामान्तकरण संख्या 148 जिसका कि नोट जमाबन्दी संम्वत 20145–2047 में लगा दिया गया था, का अमल बाद में रोक दिया गया जैसा कि नामान्तकरण पर दर्ज किया हुआ है, किन्तु यह नामान्तकरण का अमल क्यो रोका गया किस आदेश के

जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा

तहत रोका गया किस तारीख को रोका गया है, इसका कोई कारण, आदेश की दिनाक मोहर आदि कुछ भी अंकित नही है, केवल मात्र नामान्तकरण पर उपर कोने में अमल रोका गया अंकित किया हुआ है, चूँकि नामान्तकरण तहसीलदार तिजारा द्वारा स्वीकृत किया गया था, पारित निर्णय सरासर गलत विधि विरूद्व एंव मनमानी है, तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपीलान्ट के नामान्तकरण का अमल रोका गया है, जिसका कोई विधिक आधार नही है। अपीलान्ट को आराजी खसरा न0 461 में से 5 बीधा का आंवटन विधिवत रूप से किया गया था, जिसकी अपीलान्ट ने कीमत अदा की गयी है, तथा उक्त आराजी खसरा न0 461 के सम्पूर्ण रकबे की किस्म बंजड सिवायचक लगानी है, जो कस्टोडियन भूमि है, जो कि काबिल काश्त होने के कारण नियमानुसार आंवटन की गयी है। उक्त आंवटन को आदिनाक तक किसी भी सक्षम अधिकारी व न्यायालय द्वारा खण्डित भी नही किया गया है, न ही अपीलान्ट के खातेदारी के नामान्तकरण संख्या 148 को आदिनाक तक खण्डित किया गया है, बल्कि नामान्तकरण स्वीकृत होने के बाद इसका अमल का नोट भी एक बार जमाबन्दी संवत 2045–2048 में लगा दिया गया था। ऐसी स्थिति में नामान्तरण का अमल रोका जाना सरासर खिलाफ कानून है। विवादित आराजी की किस्म बंजड है, आराजी खसरा न0 461 बडा रकबा था, तथा इसी में दीगर लोगो मु0 नन्हो बेवा छोटेलाल चमार को वर्ष 1975 में 5 बीधा आराजी का आंवटन किया गया था। जिसे भी अपीलान्ट की तरह ही सीधे ही खातेदारी प्रदान की गयी है, जो भी आज खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार से आराजी में से कंवरसिंह पुत्र लीला को भी 5 बीधा आराजी का आंवटन किया गया और खातेदारी दी गयी थी, जिसके मरणोपरांत उसके वारिसान आज भी खातेदार दर्ज रिकार्ड है, इसी प्रकार से इसी खसरा न0 में से 4 बीधा आराजी का आंवटन असरू पुत्र इस्माईल को किया गया था। जो भी खातेदार दर्ज रिकार्ड बदस्तूर आज तक चला आ रहा है, तथा उसने बैंक से लोन भी लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में केव़ल मात्र अपीलान्ट के नामान्तकरण का अमल रोका जाना सरासर विधि विरूद्व व मनमानी आज्ञा है, इस आराजी से किसी दीगर शख्स का कोई लेना देना किसी तरह का नही है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.1990 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट दिनाक 04.02.2021 को जब पटवारी हल्का से उक्त आराजी मुतनाजा की जमाबन्दी की नकल के.सी.सी. कार्ड बनवाने हेतु लेने के लिए संर्म्पक किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलान्ट को आंवटितशुदा आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज ही नही है। जिस पर अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण एंव साबिक राजस्व रिकार्ड आदि की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो नकले दिनाक 16.02.2021 तक प्राप्त हुयी जिस पर जानकारी की तारीख दिनाक 16.02.2021 से बिना देरी के अंदर मियाद पेश है। अपील किये जाने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के स्वीकृतशुदा नामान्तकरण संख्या 148 निर्णय दिनाक 22.02.1990 ग्राम फुल्लावास का अमल कागजात माल में कराया जावे।

रेस्पोडेन्ट लेण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा द्वारा वक्त बहस अपील का जवाब पेश कर निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 461 के तितम्मा से आराजी खसरा न0 619/612 रकबा 12.51 है0 किस्म बजड राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज होकर जमाबन्दी ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 148 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा पटवारी हल्का द्वारा सनद पटटा संख्या 1242 दिनाक 17.02.1990 के आधार पर दर्ज किया गया। वर्ष 10/89 से 4/90 तक तहसील तिजारा में निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि के हुये आंवटनो में कतिपय हुई अनियमिताओ के कारण जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रमाक 3772 दिनाक 04.08.1990 के द्वारा ऐसे आदेश पारित किये गये की उक्त अवधि के पश्चात हुये आंवटनो के प्रचलित पटटो का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु कोई कार्यवाही नही की जावे। ऐसे आवटनो की कीमत भूमि जमा करने पटटा जारी करने

जिला कलक्टर
भिवाड़ी-तिजारा

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
भिवाड़ी-तिजारा (राज0)

राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नही की जावे, ऐसी भूमियो की पैमाईश इत्यादि का कार्य नही किया जावे। उक्त आदेशो की अक्षरशः पालना की गयी है। साथ ही निवेदन किया गया है, कि आराजी खसरा न0 461 के तितम्मा से आराजी खसरा न 619/612 रकबा 12.51 है0 किस्म बजड राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज रिकार्ड है, इस प्रकार की भूमियो पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट लेण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्टान ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 148 दिनांक 22.02.1990 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 08.03.2021 को पेश की गयी है, जो करीब 34 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.1990 की जानकारी दिनाक 16.02.2021 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्रष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 461 किस्म बंजड सिवायचक लगानी (काबिल काश्त) कस्टोडियन भूमि ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा में स्थित है, जिसका मूल रकबा बडा यानि 86 बीधा 07 बिस्वा था। उक्त आराजी में से 5 बीधा आराजी अपीलान्ट को दिनाक 17.02.1990 को तहसीलदार ...मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा द्वारा कीमतन अलॉट की गयी। अपीलान्ट द्वारा एकमुश्त कीमत मय ब्याज जमा की गयी जिसके बाद अलोटमेंट उक्त 5 बीधा आराजी सीधे खातेदारी अपीलाट को जरिये नामान्तकरण संख्या 148 दिनाक 22.02.1990 के द्वारा प्रदान की गई थी तथा स्वीकृतशुदा नामान्तकरण का नोट भी जमाबन्दी संवत 2045–2048 में लगा दिया गया था। उपरोक्त नामान्तकरण का नोट जमाबन्दी संवत 2045–2048 में लगा दिये जाने के बाद अपीलान्ट निश्चिंत हो गया तथा इस विश्वास में था की अपीलान्ट का नाम कागजात माल में दर्ज चला आ रहा है, अपीलान्ट के नाम स्वीकृतशृदा नामान्तकरण संख्या 148 जिसका कि नोट जमाबन्दी संम्वत 2045–2048 में लगा दिया गया था, का अमल बाद में रोक दिया गया जैसा कि नामान्तकरण पर दर्ज किया हुआ है, किन्तु यह नामान्तकरण का अमल क्यो रोका गया किस आदेश के तहत रोका गया किस तारीख को रोका गया है, इसका कोई कारण, आदेश की दिनाक मोहर आदि कुछ भी अंकित नही है, केवल मात्र नामान्तकरण पर उपर कोने में अमल रोका गया अंकित किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट लेण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा का कथन है, कि नामान्तकरण संख्या 148 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा पटवारी हल्का द्वारा सनद पटटा संख्या 1242 दिनाक 17.02.1990 के आधार पर दर्ज किया गया। वर्ष 10/89 से 4/90 तक तहसील तिजारा में निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि के हुये आवटनो में कतिपय हुई अनियमिताओ के कारण जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रंमाक 3772 दिनाक 04.08.1990 के द्वारा ऐसे आदेश पारित किये गये की उक्त अवधि के पश्चात हुये आंवटनो के प्रचलित पटटो का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु कोई कार्यवाही नही किये जाने तथा प्रदत आदेशो की अक्षरशः पालना की गयी है, तथा आराजी खसरा न0 461 के तितम्मा से आराजी खसरा न 619/612 रकबा 12.51 है0 किस्म बजड राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज रिकार्ड है, इस प्रकार की भूमियो पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 148 ग्राम फुल्लावास के कॉर्नर पर लिखा गया शब्द नोट अमल रोका गया आदेश की श्रैणी में नही आता है, तथा अमल रोका गया सक्ष्म अधिकारी द्वारा विधि सम्मत आदेश नही होने के कारण नामान्तकरण संख्या 148 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा को हटाये जाने हेतु आदेशित किया जाना अपेक्षित नही है, लेकिन यहा यह भी उल्लेखनिय है, कि तहत अदालत द्वारा जिला कलक्टर अलवर द्वारा जारी आदेश क्रंमाक 3772 दिनांक 04.08.1990 की पालना में

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज0)

बीघा 07 बिस्वा था। उक्त आराजी में से 5 बीघा आराजी अपीलांट

नियमानुसार नोट अंकित किया जाकर विधिवत कार्यवाही की है, जो न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.1990 नामान्तकरण संख्या 148 ग्राम फुल्लावास यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल–तिजारा (राज0)